सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन

(1) **विभाग की स्थापना से पूर्व की व्यवस्थाः–**

वर्ष 1952–53 से पूर्व तत्समय प्रचलित सहकारी समिति अधिनियम 1912 की व्यवस्थाओं के अधीन सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं लेखा परीक्षा कार्य का दायित्व निबन्धक सहकारी समितियां के अधीन था, किन्तु Government of Uttar Pradesh Memorandum on the Budget Estimates for the Year 1951-52 (As passed by the Legislature) द्वारा तत्समय पाई गई निम्न कमियों पर व्यवस्था दी गयी थी, उक्त के अनुसारः–

1. सहकारिता आन्दोलन की गतिशीलता के कारण सहकारी संस्थाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण प्रशासनिक एवं लेखा परीक्षा का कार्य एक ही विभागाध्यक्ष (निबन्धक, सहकारी समितियां) के अधीन (समुचित रूप से क्रियान्वित न हो पाने के कारण) रखा जाना उचित नही माना गया।
2. लेखा परीक्षा के मूल सिद्धान्त स्वन्तत्रता एवं निष्पक्षता को आधार मानते हुए सहकारिता विभाग के प्रशासनिक विभाग द्वारा ही लेखा परीक्षा का कार्य भी सम्पादन किया जाना उचित न मानते हुए एक स्वतन्त्र लेखा परीक्षा संगठन की स्थापना का निर्णय किया गया।
3. तत्समय सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा व्यवसायिक लेखा परीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) द्वारा की जाती थी। सहकारिता सिद्धान्तों से अनभिज्ञ होने के कारण उनके द्वारा संस्थाओं को सकारात्मक सुझाव नही दिये जा पाते थे तथा उनकी सहकारिता आन्दोलन में रूचि न होकर केवल अपनी लेखा परीक्षा शुल्क में ही रूचि थी। इन कमियों के कारण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षा न कराये जाने का निर्णय लिया गया था।

(2) **विभाग की स्थापनाः–**

गवर्नमेन्ट आफ यू0पी0 मेमोरेन्डम आन दि बजट स्टीमेट 1951–52 (As passed by the Legislature) के प्राविधानानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी लेखा परीक्षा हेतु शासकीय आदेश संख्या एस.ए.299/दस–300 (22)/1950 दिनांक 06.04.1953 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के नियंत्रण से विधिक लेखा परीक्षा को पृथक करके वित्त विभाग के अधीन सहकारी लेखापरीक्षा विभाग का गठन किया गया और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

को इसका प्रशासनिक अधिकारी/विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जुलाई 1953 में सर्वप्रथम निबन्धक सहकारी समितियाँ उ.प्र. के नियंत्रणाधीन सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा का दायित्व इस संगठन को हस्तांतरित किया गया। तदुपरान्त दिसम्बर 1954 में पंचायत संस्थाओं, जुलाई 1966 में औद्योगिक सहकारी समितियां, जुलाई 1970 में गन्ना सहकारी सस्थाओं एंव मई 99 से जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा का दायित्व भी इस संगठन को सौपा गया। वर्तमान में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागाध्यक्षों के नियन्त्रणाधीन संस्थाओं की विधिक लेखा परीक्षा इस संगठन द्वारा की जा रही है।

1. निबन्धक, सहकारी समितियां उ.प्र. लखनऊ।
2. गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग उ.प्र. कानपुर
4. निदेशक, हथकरधा एवं वस्त्रोद्योग उ.प्र. कानपुर।
5. आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
6. दुग्ध आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।
7. आवास आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।
8. निदेशक, मत्स्य उ.प्र. लखनऊ।
9. निदेशक, पंचायतराज उ.प्र. लखनऊ।
10. निदेशक, रेशम औद्योगिक सहकारी समितियां उ.प्र. लखनऊ।
11. निदेशक, उद्यान एवं फल संरक्षक उ.प्र.लखनऊ।
12. आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र. लखनऊ।

(3) प्रशासनिक स्वरूपः–

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ.प्र. लखनऊ इस संगठन के विभागाध्यक्ष है। विभाग का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर समुचित नियंत्रण रखने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद भी स्वीकृत है। मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय निम्न, 6 शीर्ष संस्थाओं हेतु उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत हैः–

1. प्रादेशिक सहकारी संघ।

2. प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. लखनऊ।

3. उ.प्र. कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि. लखनऊ।

4. उ.प्र. केन यूनियन फेडरेशन लि. लखनऊ।

5. लैकफेड, श्रम संविधा संघ

6. पैकफेड

उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. लखनऊ भी शीर्षस्थ स्तर की संस्था थी। जिनकी लेखा परीक्षा पूर्व में इसी विभाग द्वारा की जा रही थी किन्तु सहकारी समिति अधिनियम के धारा 64 क की उपधारा (1) में संशोधनोंपरान्त उक्त संस्था भी लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक एवं उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 की लेखा परीक्षा भी विभाग द्वारा नही की जा रही है। कताई मिल संघ एंव यूपिका की वर्तमान में लेखा परीक्षा नही हो रही है।

उक्त संस्थाओं की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा पर्यवेक्षण हेतु दल प्रभारी के रूप में उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत है। साथ ही उ.प्र. सहकारी यूनियन भी एक शीर्ष संस्था है जिसकी लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण का दायित्व सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का है।

प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रदेश 18 मण्डलों में विभक्त है। किन्तु विभाग में 12 मण्डल ही सृजित है शेष छः मण्डलों का सृजन शासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रत्येक मण्डल के कार्य एवं अधीनस्थ जनपदों के कार्यकलाप पर उचित नियन्त्रण का दायित्व मण्डल में नियुक्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 गेड वेतन 6600) पर होता है। यद्यपि सम्पूर्ण प्रदेश 73 प्रशासनिक जनपदों में विभाजित है तदापि लेखा परीक्षा कार्य हेतु इस विभाग में 58 जनपद ही सृजित है।(अन्य 15 जनपदों का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

जनपद स्तर पर संस्थाओं की लेखा परीक्षा कार्य का संचालन करने हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100 गेड वेतन 5400) का पद राजपत्रित अधिकारी का पद है। जनपद के समस्त प्रकार की सहकारी समितियों एवं पंचायत संस्थाओं

की वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा सम्पन्न कराने के उद्देश्य से, संस्थाओं की लेखा परीक्षा कराना, अवधारित लेखा परीक्षा शुल्क जमा कराना, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं विशेष प्रतिवेदनों के निर्गमन एवं प्राप्त परिपालनों का निस्तारण कराना भी इनका उत्तरदायित्व हैं

वर्ष 2007–08 तक की जिला सहकारी बैंको की लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा सम्पादित की गयी है। उसके उपरान्त उ.प्र. सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट 10 दिसम्बर 2007 के विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना के अन्तर्गत सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 64 क उपधारा (1) में संशोधनोपरान्त अब जिला सहकारी बैंकों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराये जाने का निर्णय लिया गया।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लोक सेवा आयोग उ.प्र. के माध्यम से लेखा परीक्षक एवम् जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पदो पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जाती है।

उक्त दोनो सीधी भर्ती के पद के अतिरिक्त लेखा परीक्षा संवर्ग के अन्य सभी पद पदोन्नति के पद है। उदाहरणार्थ लेखा परीक्षक के पश्चात ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के है तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती (50 प्रतिशत पदों पर) के पश्चात उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी एवम् मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी आदि पद पदोन्नति के है।

(4) उपरोक्त नयी व्यवस्था के फलस्वरूप लेखा परीक्षा से सम्बन्धित मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के दायित्वः–

1. विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों एवं संस्थाओं की लेखा परीक्षा कराना।
2. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा कराना।
3. लेखा परीक्षित संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना, अपहरण/गबन एवं गम्भीर अनियमितताओं हेतु विशेष प्रतिवेदन निर्गत करारा।
4. विभाग द्वारा निर्गत प्रतिवेदनों एंव विशेष प्रतिवेदनों के विरूद्ध प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा निर्गत अनुपालन की समीक्षा कर निस्तारण कराना।

(5) लेखा परीक्षा संगठन के कार्यः–

संगठन का मुख्य कार्य सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा कराया जाना है। वर्तमान में यह संगठन सहकारी संस्थाओं एवं पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का सबसे बड़ा संगठन है। शासकीय विज्ञप्ति पंचायती राज अनुभाग–2 संख्या–1511/33–2–99–29 जी/99 दिनांक 18 मई 1999 के अनुसार पंचायत के अन्तर्गत सी.ए.जी. के तकनीकी

मार्गदर्शन एवं निदेशो में गांव सभाओं की लेखा परीक्षा के साथ साथ क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा का कार्य भी इस विभाग को सौपा गया है।

उ.प्र.सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64(1) के अधीन विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं की वर्ष में एक बार संविधिक लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जाती है। इसी प्रकार पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा भी वर्ष में एक बार उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियमावली के नियम संख्या 186 एवं जिला पंचायत एंव क्षेत्र की लेखा परीक्षा अधिनियम 1961 के अन्तर्गत सम्पन्न करायी जाती है।

सहकारी आन्दोलन में लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है जो इसके प्रति जनविश्वास एवं वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं में विनियोजित शासकीय एवं अन्य पक्षों के धन के सदुपयोग एंव उसकी सुरक्षा सुननिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। लेखा परीक्षा के साथ–साथ निम्न महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किये जाते है:–

1. उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 215 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों में पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग एंव वित्त पोषक संस्थाओं को विशिष्ट प्रतिवेदनों के माध्यम से अवगत कराना एवं रूपये एक लाख से अधिक धनराशि के प्रतिवेदनों की प्रति शासन को भी प्रेषित की जाती है।
2. लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं विशेष प्रतिवेदनों के अनुपालन प्राप्त हेतु कार्यवाही करना प्राप्त अनुपालनों की समीक्षा एवं निस्तारण की कार्यवाही करना।
3. लेखा परीक्षा के उपरान्त शासन द्वारा निर्धारित दरों एवं सीमाओं के अनुरूप लेखा परीक्षा शुल्क अवधारित करना है।
4. लोक सेवा आयोग उ.प्र. इलाहाबाद द्वारा चयनित लेखा परीक्षकों एंव जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को आडिट सम्बन्धी विभागीय एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना।
5. शासन द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों में विशेष लेखा परीक्षा कराना जैसे कि पंचायत चुनावो में जनपदों में तत्सम्बन्धी किये गये व्ययों की जांच एवं वैयक्तिक लेखों की जांच कराया जाना आदि।

(6) **लेखा परीक्षा शुल्कः–**

लेखापरीक्षोपरान्त उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 220 के अधीन सहकारी संस्थाओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित दरों पर एवं पंचायत संस्थाओं पर शासनादेश संख्या 3872/दस–2000–101(17)/97 दिनांक 16.10.2000 द्वारा निर्धारित दर पर अवधारण किया जाता है। शीर्षस्थ संस्थाओं पर लागत व्यय के आधार पर लेखा परीक्षा शुल्क का अवधारण किया जाता है।

(7) **निर्गत लेखा परीक्षा/विशेष प्रतिवेदनों के प्राप्त परिपालनों की समीक्षाः–**

लेखा परीक्षोपरान्त निर्गत लेखा परीक्षा/विशेष प्रतिवेदनों के अनुपालन उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 224 के अधीन परिपालन आख्यायें प्रशासनिक विभाग की सन्निरीक्षा में सन्तोषप्रद पाये जाने पर निस्तारणार्थ लेखा परीक्षा विभाग को सुलभ करायी जाती है परन्तु परिपालन आख्याये सही वास्तविक एवं संतोषप्रद न होने के कारण पुनः अनुपालन हेतु वापस कर दी जाती है। लेखा परीक्षा/विशेष प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्यायें प्रशासनिक विभाग के संतोषजनक पाये जाने पर ही लेखा परीक्षा विभाग को निस्तारणार्थ प्रेषित की जाती है परन्तु सामयिक अनुपालन न होने के कारण अनिर्णीत प्रतिवेदनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(8 **प्रशिक्षणः–**

विभाग के अन्तर्गत एक विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र भी संचलित था जो सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से राजसदन अयोध्या जनपद फैजाबाद में स्थित था। लोक सेवा आयोग उ.प्र. इलाहाबाद से सीधी भर्ती द्वारा चयनित लेखा परीक्षकों एंव जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को इस प्रशिक्षण केन्द्र पर क्रमशः 6 माह व 4 माह का विभागीय एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। इस अवधि में प्रशिक्षुओं को विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी एवं लेखा परीक्षा का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता था। प्रशिक्षण केन्द्र अब अपरिहार्य कारणों से बन्द है। पुनः संचालित कराने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र के बन्द होने के कारण शासन के आदेशों के अन्तर्गत आई.सी. सी.एम.आर.टी. में आधारभूत एवं प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।जिसके अन्तर्गत नवचयनित लेखा परीक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। **प्रशिक्षण केन्द्र पर निम्न विषयों की जानकारी करायी जाती रही हैः–**

1. सहकारिता का इतिहास एवं सामान्य सिद्धान्त।
2. सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं अन्य सम्बन्धित अधिनियम तथा नियम।
3. वित्तीय नियम।
4. अधिकोषण, सामान्य तथा सहकारी लागत लेखा।
5. पुस्तपालन तथा बही खाता।
6. लेखा परीक्षा।
7. पंचायत राज अधिनियम एवं नियम।
8. शुगर केन अधिनियम आदि।

इसके अतिरिक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण जिला एवं सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी के अधीन दिया जाता है।

प्रशिक्षण केन्द्र के कार्य संचालन एंव प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व प्रधानाचार्य पर है जो उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी स्तर के प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी होते है। प्रधानाचार्य के अतिरिक्त प्रशिक्षण देने हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी स्तर के चार प्रवक्ता भी प्रशिक्षण केन्द्र हेतु स्वीकृत है।

लेखा परीक्षा कार्मिकों के कर्तव्य

विभाग के पुर्नगठन के फलस्वरूप दलीय व्यवस्था के अन्तर्गत ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के दायित्व एवं उनसे अपेक्षित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मुख्यालय के परिपत्र संख्या–48/सम्प्रेक्षण–2–72 (ज्ये.स.) दिनांक 10, 1971 के अन्तर्गत उनके पूर्व निर्धारित कर्तव्यों में संशोधन करते हुये विचार विमर्श मे उपरान्त अब निम्न कर्तव्य निर्धारित किये जाते है:–

1. आवंटित संस्थाओं की लेखा परीक्षा समय र सम्पन्न कर लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र देते हुये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षों को निर्गत करना।
2. दल के प्रत्येक सदस्य के लिए कार्य विभाजन करना तथा उनमें ताल मेल रखना।
3. सम्बद्ध लेखा परीक्षकों के कार्य की प्रगति पर नियंत्रण रखना एवं आवश्यकतानुसार उन्हें मार्गदर्शन देना।
4. संस्था के अधिकारियों से लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में समय–2 पर एवं विशेष रूप से लेखा परीक्षा समापन के पूर्व विचार विमर्श करना।

5. जिन संस्थाओं में अन्तरिम आपत्तियों के निर्गमन की आवश्यकता है, उनमें लेखा परीक्षा दल द्वारा तैयार की गयी आपत्तियों की आवश्यक जांच के पश्चात अपने हस्ताक्षर से निर्गत करना।

6. निर्गमित अन्तरिम आपत्तियों के अनुपालन प्राप्ति हेतु कार्यवाही करना। अनुपालन प्राप्त होने पर उनकी समीक्षा करना एवं समीक्षा के आधार पर आपत्तियों को समाप्त करना अथवा उनके बनाये रखने का निर्णय लेकर अग्रिम कार्यवाही करना।

7. आवंटित संस्थाओं के वार्षिक नक्शों, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/ सम्पत्तियों विनियोजन बैंक लेखें, राजकीय ऋण एवं अनुदान तथा वाह्य ऋण की स्वंय जांच करना।

8. गम्भीर अनियमितताओं, अपहरण एवं दुर्विनियोग के प्रकरण प्रकाश में आने पर उनकी छानबीन कर उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनां

9. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त, विशिष्ट प्रतिवेदनों के अनुपालनों की आवश्यकतानुसार स्थानीय जांच करना एवं विषय पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करना।

10. प्रत्येक माह के अन्त में दल का मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य विवरण जो समय–समय पर अपेक्षित हो जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।

11. स्वयं का एव दल के लेखा परीक्षकों के यात्रा कार्यक्रम अपने माध्यम से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करनां

12. अपनी एवं दल के सदस्यो की दैनन्दिनी अपने माध्यम से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।

13. सम्बद्ध लेखा परीक्षकों के अवकाश आदि के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति देना एवं उनके अन्य व्यक्तिगत प्रकरण अपने माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।

14. सम्बद्ध लेखा परीक्षकों के कार्य एवं व्यवहार के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की प्राविष्ट हेतु आख्या देना।

15. नियमों के अन्तर्गत लेखा परीक्षा शुल्क का अवधारण करना एवं अवधारित शुल्क को संस्था से जमा कराने की कार्यवाही करना।

16. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी एवं अन्य उच्च स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।